

कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर
क्रमांक प.20 (101/127) /निकाशि/2005/

दिनांक

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,
बीकानेर संभाग

विषय :- सूचना के अधिकार विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में
महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, (रीपा) बीकानेर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विषय के संबंध में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो दिनांक 2 से 4 अगस्त 2013 को कराया जाना नियत था। अब उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 5 से 7 अगस्त के मध्य ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, (रीपा) बीकानेर में कराया जावेगा। आपके महाविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी (प्राचार्य) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

बीकानेर संभाग की संलग्न सूची के अनुसार क्रम संख्या 1-18 तक के समस्त महाविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी (प्राचार्य), 5-7 अगस्त 2013 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागी होंगे उक्त दिनांक को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। ह.च.मा., रीपा, बीकानेर में आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है। मध्याह्न भोजन व कक्षा के दौरान 2 चाय सभी अधिकारियों के लिए निःशुल्क होंगे। स्थानीय प्रशिक्षार्थी पूर्णता निःशुल्क स्वीकार किये जावेगे। प्रशिक्षार्थी के पदस्थापन से संबंधित केन्द्र विलोमत यात्रा का भुगतान स्वयं के महाविद्यालय के द्वारा देय होगा। सूचना का अधिकार विषय प्रशिक्षण पुस्तिकाएँ आदि उन्हे प्रशिक्षण के दौरान प्रदान की जावेगी।

हो

लोक सूचना अधिकारी
कालेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर

क्रमांक प.20 (101/127) /निकाशि/2005/ 940-943

दिनांक 31-7-13

प्रतिलिपि

- 1 डा.आर.के. चौबीसा, ह.च.मा., राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर -330017 को सूचनार्थ
- 2 अतिरिक्त निदेशक ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र नागणेचीजी का मन्दिर बीकानेर 334001 को सूचनार्थ
- 3 डा धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाइट प्रभारी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

लोक सूचना अधिकारी